भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 147

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 फ़रवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा वसूला गया जीएसटी"

147. **डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) के अभ्यर्थियों से 51 करोड़ रुपये और विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) से 11.5 करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जीएसटी लगाना बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त अभ्यर्थियों से वसूले गए जीएसटी को वापस कर दिया है, यदि हां, तो वसूल की गई राशि, वापस की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा पता किए गए और ब्याज सहित प्रतिदाय राशि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है;
(घ) एनबीईएमएस के पास जमा की गई राशि और अस्पतालों को अंतरित की गई राशि सहित वसूले गए जीएसटी का अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए जांच शुरू की है और यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, एनबीईएमएस ने डीएनबी/डीआरएनबी अभ्यर्थियों से 39 करोड़ रुपये और एफएमजीई अभ्यर्थियों से पाठ्यक्रम शुल्क भुगतान पर जीएसटी के रूप में 29 करोड़ रुपये वसूल किए हैं।
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 1.11.2023 के आदेश के अनुपालन में एनबीईएमएस ने जीएसटी एकत्र करना/लगाना बंद कर दिया है।
(ग) और (घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि:

(i) एनबीईएमएस ने अभ्यथियों से एकत्रित जीएसटी का रिफंड करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

(ii) प्रोसेस किए गए रिफंड के ब्यौरे से संबंधित डाटा और एकत्रित/अंतरित राशि का ब्यौरा एनबीईएमएस द्वारा संकलित किया जा रहा है।

(ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस मुद्दे पर कोई जांच शुरू नहीं की गई है।

*****